अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना
2. खनिज सम्पदा
3. छत्तीसगढ़ राज्य में खनन हेतु उपलब्ध अधोसंरचना
4. खानों एवं खनिजों का नियमन
5. छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति के उद्देश्य
6. खनिज अन्वेषण
7. खनिज प्रशासन एवं विकास
8. छत्तीसगढ़ शासन की ग्रेनाइट नीति
9. खनन एवं पर्यावरण
10. निर्यात संवर्धन
11. खनिज आधारित उद्योगों का विकास
12. खनिज विकास में अवरोधक
13. खनिज निगम का गठन
14. नीति क्रियान्वयन समिति का गठन

    (अ) त्वरित कार्यवाही समिति

    (ब) कार्य दल

छत्तीसगढ़ शासन की खनिज नीति 2001

प्रस्तावना

अनूठी प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सोलह जिलों के समुच्चय को जिसे पुराने मध्यप्रदेश के एकसठ जिलों से तराशकर नया स्वरूप दिया गया हैं, नवीन छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में जाना पहचाना जाता है । प्राकृतिक सम्पदा से परिपूरित इस नवसृजित राज्य की गणना राष्ट्र के विपन्न प्रदेशों में किया जाना, एक विडम्बना ही हैं । यदि इस नवजात प्रदेश में उपलब्ध अकूत प्राकृतिक सम्पदा का दोहन कठिन वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों की जटिलताओं के कारण नहीं हो पाएगा तो इस नवीन राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य ही खंडित हो जावेगा । अतः, ऐसी विषम परिस्थितियों से निजात पाने तथा प्रदेश की प्राकृतिक सम्पदा में यहाँ के पिछड़े वर्गो को समुचित भागीदारी एवं लाभ दिलाने हेतु प्रदेश के लिए नई खनिज नीति का निर्धारण किया जाना समय की आवश्यकता बन गई है ।

पूंजी निवेश के क्षेत्र में निजीस्वार्थ की नीति घातक होती है । प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों की अपनी गौरवशाली परम्परा है । अतः, प्रदेश के खनिज क्षेत्र में विनिवेशित

पूँजी का एक उचित हिस्सा एवं अनुदान विभिन्न उपक्रमों एवं औद्योगिक घरानों को प्रदेश में सामाजिक अधोसंरचना के विकास हेतु विभिन्न करों में छूट एवं अंशदानों के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा ।

खनिज संपदा

राज्य की भौमिकी एवं विवर्तनिक संरचना विभिन्न प्रकार के खनिजों के खनिजीकरण हेतु उपयुक्त है । कुल मिलाकर राज्य में 28 प्रकार के खनिजों की उपलब्धता प्रतिवेदित है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के नाम हीरा एवं अन्य बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण धातु, लौह अयस्क, टिन अयस्क, बाक्साइट, कोयला, चूनापत्थर एवं डोलोमाइट है ।

देश में टिन अयस्क के एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ में इसका 28.89 मिलियन टन भण्डार बस्तर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पाया गया है । विश्व का सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ियों में पाया जाता है । लौह–अयस्क के अन्य भण्डार कांकेर, दुर्ग एवं राजनांदगांव जिलों में पाये जाते हैं । वर्तमान में बैलाडीला लौह–अयस्क भण्डारों का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम व्दारा किया जा रहा है तथा इसे विशाखापट्टनम् इस्पात संयंत्र (आन्ध्रप्रदेश) तथा विदेश (जापान) को भेजा जाता है । दल्ली–राजहरा (जिला दुर्ग) की खदानों से निकाले जाने वाले लौह–अयस्क का उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र में किया जाता है । विलक्षण धातु एल्युमिनियम का खनिज बाक्साइट की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सरगुजा, जशपुर, कोरबा, कवर्धा एवं बस्तर जिलों में पाई जाती है । सार्वजनिक क्षेत्र की भारत एल्युमिनियम कंपनी, कोरबा (बाल्को) पहले फुटका पहाड़ (जिला कोरबा) से तथा वर्तमान में मैनपाट (जिला सरगुजा) से अपने एल्युमिनियम संयंत्र हेतु बाक्साइट मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से प्राप्त कर रही है । राज्य में उपलब्ध चूनापत्थर के विशाल भण्डार राज्य के खनिज भण्डारों का सबसे बड़ा हिस्सा सिद्ध हो रहे है । इन चूनापत्थर भण्डारों के आधार पर राज्य में 9 वृहदाकार सीमेंट संयंत्र तथा अनेकों लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित हो चुके हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 148 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की है । सीमेंट श्रेणी चूनापत्थर के महत्वपूर्ण भण्डार रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, जांजगीर, कवर्धा तथा रायगढ़ जिलों में उपलब्ध है । जिनमें लगभग 35806 लाख टन भण्डार प्रमाणित किया जा चुका है तथा अनेक क्षेत्रों में अभी अन्वेषण किया जाना शेष हैं । निम्न श्रेणी चूनापत्थरों का उपयोग बहुतायत से इमारती पत्थर के रूप में होता है । औद्योगिक महत्व के एक अन्य खनिज डोलोमाइट जिसका उपयोग अधिकतर इस्पात संयंत्र एवं तापसह ईटों के निर्माण में किया जाता है, के भण्डार बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं जांजगीर जिलों में पाये जाते है । प्रदेश के खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान प्रदेश में प्राप्त कोयला भण्डारों का रहता है । इसका खनन एवं विपणन केन्द्रीय शासन के अर्धशासकीय संस्थान भारत कोयला मर्यादित (कोल इंडिया लिमिटेड) व्दारा किया जाता है ।

किसी भी राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु लौह अयस्क को मेरूदण्ड के रूप में माना जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क के विशाल भण्डार उपलब्ध हैं जिनमें लगभग 19690 लाख टन लौह अयस्क प्रमाणित किया गया है । वर्तमान में इसका एक भाग ही उत्खनित किया जा रहा हैं, इसमें निर्यात संवर्धन तथा इस्पात उद्योग स्थापित करने हेतु अपार संभावनायें अभी भी मौजूद हैं । लौह अयस्क भण्डार मुख्यतः दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग तथा राजनांदगांव जिलों में उपलब्ध हैं ।

सरगुजा, जशपुर, कोरबा, कांकेर तथा कवर्धा जिलों में उपलब्ध बाक्साइट निर्यातोन्मुखी इकाई हेतु खनिज उपलब्ध करा सकते हैं । प्रदेश में बाक्साइट धारित क्षेत्रों को अभी पूर्ण रूप से अन्वेषित नहीं किया जा सका हैं ।

प्रदेश में डोलोमाइट खनिज के 6060 लाख टन भण्डार बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर तथा जांजगीर जिलों में उपलब्ध हैं ।

रायपुर जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरे की उपस्थिति अंकित की गई है साथ ही हीरे के मातृशिला किम्बरलाइट हेतु संभावित 8 खण्ड अंकित किये गये हैं।

इनके अतिरिक्त प्रदेश में अन्य खनिज जैसे कोरण्डम, मृत्तिका, क्वार्टजाइट, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालुसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, गारनेट, सिलिका सेन्ड आदि उपलब्ध है । दुर्लभ मूल्यवान खनिज जैसे अलेक्जेन्ड्राइट, कार्नरूपेन भी प्रदेश में प्रतिवेदित हैं । इनके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न रंगों की छटा वाले ग्रेनाइट के अपार भण्डार उपलब्ध है जिनका उपयोग सजाावटी पत्थर के रूप में हो सकता हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज खनन हेतु उपलब्ध अधोसंरचना

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में अधोसंरचना विकास निगम का गठन किया गया हैं । अतः अधोसंरचना विकास संबंधित समस्त बाधाओं का त्वरित गति से निराकरण होगा ।

किसी भी राज्य के त्वरित विकास हेतु उपलब्ध अधोसंरचना का अत्यधिक महत्व होता है । नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य में सौभाग्यवश अधोसंरचना के निम्नांकित घटक मौजूद हैं :–

(अ) रेल यातायात सुविधा
(ब) सड़क यातायात संजाल (नेटवर्क)
(स) यथेष्ठ उर्जा (विद्युत) की उपलब्धता
(द) जनशक्ति की उपलब्धता

(अ) रेल यातायात सुविधा– राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु यह एक महत्वपूर्ण कारक है । प्रदेश की राजधानी रायपुर का अन्य प्रदेशों के महत्वपूर्ण स्थानों तथा बंदरगाहों से सम्पर्क हेतु रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध है । इससे खनिजों के परिवहन में दीर्घकालिक सहायता मिलती रहेगी ।

(ब) सड़क यातायात संजाल– छत्तीसगढ़ राज्य सड़क यातायात की दृष्टि से देश के अनेकों महत्वपूर्ण स्थानों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ हैं तथा इस हेतु सड़कों का संजाल फैला हुआ हैं । इस प्रदेश से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अनेकों राजकीय मार्ग गुजरतें हैं जिनसे प्रदेश की राजधानी एवं प्रायः समस्त जिला मुख्यालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ।

(स) यथेष्ठ उर्जा (विद्युत) की उपलब्धता– खनिज आधारित उद्योगों के लिए विद्युत (उर्जा) का अत्यधिक महत्व है । प्रदेश में उपलब्ध कुल विद्युत उर्जा लगभग 2000 मेगावाट है । इसके अलावा निजी उद्योगपतियों को स्वयं का उर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ।

(द) जनशक्ति की उपलब्धता– प्रदेश में मौजूद अनेकों खदानों एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित विशाल मानव शक्ति की आवश्यकता होगी । प्रशिक्षित मानवशक्ति तैयार करने हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों में भू–विज्ञान विषय की शिक्षा दी जाती हैं, अनेकों प्रौद्योगिकी (इंजिनियरिंग) महाविद्यालय, पालीटेक्नीक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र मौजूद है । छत्तीसगढ़ अपने

शांतचित्त मजदूरों के लिये प्रख्यात हैं जो अनेकों उद्योगों के संचालन हेतु उपयोगी साबित होते हैं तथा छत्तीसगढ़ का औद्योगिक वातावरण शान्त ही रहा है ।

<u>खानों एवं खनिजों का नियमन</u> –

1. यद्यपि खनिज संपदा राज्य सरकार के आधिपत्य में हैं तथापि खानों एवं खनिजों के विकास विषयक अधिनियम भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत आते हैं । इसी के आधार पर खानों एवं खनिजों के विकास अधिनियम संबंधी कानून बनाने के संपूर्ण अधिकार संसद के पास है ।

2. खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 (डडत्क ।बज) संसद द्वारा बनाया गया है तथा अधिनियम के खंड 13 में दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुये केन्द्रीय शासन द्वारा खनिज रियायत नियमावली 1960 जारी की गई है । कोयला, आण्विक खनिज तथा गौण खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों के संरक्षण तथा समुचित विकास की दृष्टि से केन्द्र शासन ने खनिज संरक्षण तथा विकास नियम 1988 तैयार किया हैं । इस अधिनियम के खंड 15 के तहत गौण खनिजों के विषय में नियम बनाने के अधिकार राज्य शासन को दिये गये हैं ।

3. गौण खनिजों हेतु विधि निर्माण की प्रकिया की जानकारी मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 में समाहित है । नियम 29 (5) के तहत गौण खनिजों की राजस्व दरों तथा मृत कर (क्मंक त्मदज) के निर्धारण के अधिकार मध्य प्रदेश शासन को है जो कि गौण खनिजों की राजस्व दरें तीन वर्ष से कम अवधि में नहीं बढ़ा सकती है ।

   नियम 56 के अनुसार खनिज प्रशासन तथा राजस्व निर्धारण के अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंप दिये गये हैं ।

4. 1999–2000 के दौरान खान एवं खनिज (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1957 में किये गये संशोधन खनिज विधान तथा नीति हेतु मील का पत्थर साबित हुये हैं जिनके तहत राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दिये गये है तथा प्रक्रियाओं को अत्यधिक सरलीकृत किया गया है ।

5. खुली भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत भारत शासन ने आण्विक तथा ईधन खनिजों के अतिरिक्त लगभग सभी खनिजों हेतु अनुज्ञप्तियां तथा पट्टे स्वीकृत करने में छूट प्रदान की है । राष्ट्रीय खनिज नीति 1999 के अंतर्गत निम्न बिंदु है–

(अ) 13 प्रकार के खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाईट, सल्फर, स्वर्ण, हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, मालिब्डिनम, टंगस्टन, निकल तथा प्लेटिनम समूह के खनिज, जो कि पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा खनन हेतु सुरक्षित रखे गये थे, सूची में से विलोपित कर दिये गये हैं । ये खनिज अब निजी क्षेत्रों द्वारा उत्खनन हेतु खोल दिये गये है ।

(ब) विदेशी निवेश तथा तकनीक को प्रोत्साहित किया जायेगा । खनिज उद्योग में विदेशी पूंजी की सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है ।

(स) चूना पत्थर को अनुसूचित खनिजों की सूची में से विलोपित कर दिया गया है । अब सीमेंट श्रेणी चूना पत्थर हेतु पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व केन्द्र शासन की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।

उद्देश्य

- खनिज संसाधनों विशेड्ढकर निर्यात योग्य खनिजों, सामरिक महत्व के खनिजों तथा आधारभूत खनिजों के विकास एवं जन सामान्य के लिये उपयोगी परम्परागत खनिज भण्डारों की वृद्धि हेतु प्रयास करना ।
- आधारभूत खनिज, हीरा, स्वर्ण जैसे खनिजों की खोज हेतु अधुनातन विधि जैसे हवाई सर्वेक्षण जिसमें विशाल धनराशि एवं अत्याधुनिक तकनीक का नियोजन आवश्यक होता हैं, के लिये निजी/विदेशी कम्पनियों की सहभागिता प्राप्त करना ।
- पर्यावरण सुरक्षा का स्थानीय पारिस्थितिकी से सामंजस्य बनाते हुए खनिजों का उत्खनन करना ।
- विभागीय प्रयोगशालाओं यथा रासायनिक, प्रस्तर, भू-भौतिकी एवं सुदूर संवेदन प्रयोगशालाओं के आधुनिकीरण हेतु आवश्यक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि खनिजों की यथार्थपरक गुणवत्ता एवं उपयोगिता ज्ञात की जा सके ।
- वर्तमान में अनुपयोगी निम्न श्रेणी के खनिजों को उपयोगी बनाने हेतु उपयुक्त तकनीक का विकास करना जिससे निरूपयोगी खनिजों को भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी बनाया जा सके । इस हेतु शोध एवं विकास परक परिष्करण (सज्जीकरण) अध्ययन किया जाना ।
- वर्तमान में निम्न श्रेणी अयस्कों के भविष्य की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु उपयोग का समुचित तकनीकी का विकास करना । अनुसंधान तथा विकास के सहयोग से खनिज परिष्करण हेतु अध्ययन किया जायेगा ।
- वर्तमान में जारी ग्रेनाइट नीति प्रदेश में ग्रेनाइट प्रस्तर के विकास को बढ़ाने में असफल रही हैं जबकि प्रदेश में ग्रेनाइट के विकास की असीम संभावनाऍं मौजूद हैं । अतः शासन ने यह प्रस्तावित किया हैं कि भारत शासन की ''ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999'' को अंगीकार किया जावेगा ।
- खनिज नीति जनोन्मुखी, उद्योगोन्मुखी एवं पारदर्शी होगी ताकि खनिज राजस्व में वृद्धि हो सके ।
- खनिजों एवं खनिज राजस्व की चोरी एवं हानियों को रोकने हेतु कठोर कदम उठाये जावेंगे ।
- तकनीकी अमले को खनिज अन्वेड्ढण एवं विश्लेड्ढण के अधुनातन तकनीकों एवं यंत्रों से अवगत कराते रहने हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जावेंगे ।

खनिज अन्वेषण

सभ्यता के आरंभ से ही खनिज भी मानव उद्यमों के आधार स्तंभ रहे है । खनिज एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कि पुनः सृजनशील नहीं है । अतः विकासशील देशों में अतिरिक्त खनिज संसाधनों की खोज आवश्यक है । खनिजों की खोज के कार्य में उच्च श्रेणी के व्यवसायिक दृष्टिकोण तथा आर्थिक बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए । खनिजों की खोज में निहित बहुत लाभ अथवा बहुत हानि की संभावनाओं के मद्देनजर इस प्रकार के अन्वेषण हेतु अत्यन्त सावधानीपूर्वक योजना बनाने तथा इसके सही क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा ।

खनिज अन्वेषण कार्य का उद्देश्य संसाधन उपलब्ध कराना है । अन्वेषण कार्य में किये गये विनियोजन परिणाममूलक होना आवश्यक नहीं हैं । अतः इस कार्य में विनियोजन एक जोखिम पूर्ण कार्य है । अतः अन्वेषण कार्य को प्रदेश के अनुसंधान तथा विकास व्यय की श्रेणी में रखा जाना प्रस्तावित हैं ।

प्रत्येक राज्य के लिए खनिज अन्वेषण कार्यक्रम लाना अपरिहार्य एवं एक सतत् प्रक्रिया है । अतिरिक्त खनिज की खोज करना राज्य के औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक है । वर्तमान समय में जबकि पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, खनिज अन्वेषण का कार्य उच्चकोटि के व्यवसायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया जाना होगा जिससे इस क्षेत्र में किये जाने वाले विनियोजन का उचित प्रतिसाद प्राप्त हो सके ।

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रमुख कार्य खनिजों का अन्वेषण एवं संरक्षण है । इस कार्य के अन्तर्गत नवीन खनिज भण्डारों की खोज एवं ज्ञात खनिज भण्डारों का समन्वित विकास सम्मिलित है । पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध खनिजों का दोहन परम्परागत तरीकों से किया जाता रहा है । किन्तु अब खनिज अन्वेषण का लक्ष्य दुर्गम क्षेत्रों में पाये जाने वाले तथा धरातल के नीचे गहराई में मिलने वाले खनिजों की खोज पर केन्द्रित करना होगा । ऐसे खनिज अन्वेषणों के लिए सुग्राही तकनीक का उपयोग करना होगा । इस हेतु विसंगति क्षेत्रों में उपलब्ध खनिजों की जानकारी ज्ञात करने हेतु कम मध्यांतर (250 मीटर) पर हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षण किया जाना होगा । सटीक खनिज अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र को सीमित करने हेतु नदी–नालों से तलछट नमूने/शैल नमूने तथा सीमित संछिद्र नमूने एकत्र किये जाने होंगे । वांछित परिणाम (अन्त–उत्पाद) प्राप्त करने हेतु नमूनों के विश्लेषण अत्यंत सावधानीपूर्वक किये जाने होंगे । अतः, खनिज भण्डारों के सही गुणवत्ता के विश्लेषण तथा उनकी औद्योगिक उपयोगिता निर्धारित करने हेतु आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी ।

प्रदेश में उच्च तकनीक से कार्य करने वाले उद्यमियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कार्यरत रासायनिक, प्रस्तर तथा फोटोभौमिकी प्रयोगशालाओं को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा । उपश्रेणी के अयस्कों के परिष्करण हेतु अध्ययन, दुर्लभ खनिजों के एवज में अन्य सुलभ खनिजों की खोज हेतु अध्ययन तथा छोटे भण्डारों की औद्योगिक उपयोगिता ज्ञात करने हेतु कार्य किया जायेगा ।

विभाग के तकनीकी अमले को केन्द्रीय शासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अतिरिक्त प्रदेश में कार्यरत किसी अन्य अन्वेषण कार्यक्रम के साथ संलग्न किया जावेगा ।

खनिजों का अन्वेषण प्रायः बड़ी औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता था एवं छोटे भण्डारों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था । किन्तु अब छोटे भण्डारों की भी औद्योगिक उपयोगिता ज्ञात करने हेतु इनका विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य किया जायेगा ।

अर्थव्यवस्था के भू–भंडलीकरण के साथ ही खनिज क्षेत्र को भी निजी/विदेशी निवेश हेतु मुक्त कर दिया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज अन्वेषण की अपार संभावनायें मौजूद है । चूंकि खनिज अन्वेषण का कार्य अत्यधिक जोखिम का कार्य है तथा इसमें पूंजी निवेश की आवश्यकता भी अत्यधिक है, नव सृजित राज्य छत्तीसगढ़ इतना बड़ा पूंजी निवेश करने की स्थिति में अभी नहीं हैं । अतः, अत्यधिक मूल्यवान दुर्लभ खनिजों की खोज हेतु निजी / विदेशी निवेश आंमत्रित करना प्रस्तावित है । ये खनिज निम्न है :–

- हीरा एवं अन्य रत्न
- स्वर्ण
- आधारभूत धातु
- टिन
- बाक्साइट

दन्तेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र से लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जा रहा है । अतः, ऐसे क्षेत्रों की पहचान किया जाना प्रस्तावित है जिससे निम्नलिखित खनिजों के निर्यात हेतु निवेश किया जा सके :–

- हीरा / रत्न
- स्वर्ण
- आधारभूत धातु
- लौह अयस्क
- ग्रेनाइट
- बाक्साइट
- टिन अयस्क

खनिज अन्वेषण अत्यन्त जोखिम का कार्य है । अतः ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए जिससे राजकीय कोष पर न्यूनतम भार पड़े । खनिज क्षेत्र में अत्यधिक कठोर नियम अध्यारोपित किये जाने पर निश्चित रूप से निवेश की संभावनाये क्षीण होगी ।

प्रदेश में खनिज संसाधनों की अपार संभावनायें है जिसके लिये अत्यधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता है । इस हेतु निजी विनिवेश तथा ज्ञान का सहयोग अपरिहार्य हो जाता है अतः प्रदेश में अन्वेषण कार्य हेतु उद्यमियों को आंमत्रित करने की कार्यशैली अपनाई जायेगी । इससे प्रदेश में कई महत्वपूर्ण खनिज भण्डार प्रकाश में आयेगें ।

प्रदेश में छोटे तथा पृथक– पृथक खनिज भण्डार यत्र–तत्र बिखरे हुये है । अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से लघु स्तर पर उत्खनन कार्य किया जा सकता है । पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये वैज्ञानिक तथा समुचित तरीके से लघु स्तर पर उत्खनन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जावेंगे ।

खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में प्रदेश में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के अतिरिक्त केन्द्रीय शासन की अनेक संस्थायें कार्यरत है । इन सभी संस्थानों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करने हेतु प्रयास किये जावेंगे जिससे कार्य की पुनरावृत्ति न हो तथा संसाधनों का समुचित दोहन सुनिश्चित किया जा सके । उक्त कार्य के लिये संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जायेगी ।

खनिजों की उपलब्धता, अन्वेषण स्तर, उत्खनन तथा खनिज आधारित उद्योग लगाने संबंधी आवश्यक अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जायेगी, जो निम्न कार्य संपादित करेगा :–

1. प्रदेश में उत्पादित खनिजों की तालिका तैयार करना तथा इसे लगातार अद्यतन करना ।

2. पूर्वेक्षण तथा उत्खनन हेतु अनुज्ञाप्ति क्षेत्रों को दर्शाने वाले मानचित्र तैयार करना तथा
3. प्रतिवर्ष इन्हें अद्‌यतन करना ।
4. पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से खदानों तथा निरूपयोगी खनिजों के समुचित उपयोग करने संबंधी खनिज परिष्करण अध्ययन का प्रकाशन किया जायेगा ।

महत्वपूर्ण खनिजों जैसे रत्न खनिज, सीमेंट श्रेणी चूनापत्थर, ग्रेनाइट, स्वर्ण धातु आदि हेतु सूचनात्मक लघु पुस्तिका तैयार की जावेगी । इससे प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा ।

<u>खनिज प्रशासन एवं विकास</u>

एम.एम.आर.डी. एक्ट 1957 (जिसे बाद में एम.एम.डी.आर. एक्ट कहा गया) सर्वप्रथम 1994 में, तत्पश्चात् दिसम्बर 1999 में संशोधित किया गया । संशोधित एक्ट में राज्य सरकार को अधिक अधिकार दिये जाने संबंधी प्रावधान समाहित हैं । राज्य शासन को पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति तथा खनिपट्‌टे स्वीकृत करने तथा नवीनीकरण करने, खनन योजना स्वीकृत करने, खनन योजना निरस्त करने तथा आरक्षित क्षेत्रों को अनारक्षित करने जैसे उत्त्तरदायित्व सौंप दिये गये है ।

इनके अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु छत्तीसगढ़ शासन व्दारा नीति तथा प्रशासनिक अमले की पहचान किया जाना प्रस्तावित हैं ।

<u>गौण खनिज की अनुज्ञप्ति स्वीकृति में प्राथमिकता</u>

गौण खनिजों हेतु, पत्थर, मुरुम, रेत, फर्शीपत्थर को छोड़कर उत्खनिपट्‌टा एवं खनि पट्‌टा की स्वीकृत प्रदान करते समय निम्नानुसार प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया जावेगा :–

(अ) गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की सहकारी समितियॉ ।

(ब) युवा बेरोजगारों की सहकारी समितियॉ ।

(स) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सदस्यों की सहकारी समितियॉ ।

(द) गरीबी रेखा के नीचे तबके के युवा आवेदक ।

(इ) गरीबी रेखा के नीचे तबके का कोई भी आवेदक ।

(फ) अन्य आवेदकगण ।

यदि अनुज्ञप्ति क्षेत्र किसी अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तबके के स्वामित्व का हो तथा यदि वह आवेदक हो तो उसे ही अनुज्ञप्ति स्वीकृत में प्राथमिकता दी जावेगी ।

<u>खनि रियायत नियमों तथा अनुज्ञप्ति स्वीकृति की प्रकिया का सरलीकरण</u>–

1. खनिजों के उत्खनन/खनन हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के नियमों एवं प्रकियाओं का सरलीकरण किया जावेगा । मुख्य खनिजों के खनि रियायतों के सरलीकरण के प्रस्ताव केन्द्रीय शासन को भेजे जावेंगे तथा गौण खनिजों हेतु खनि रियायतों के नियम छत्तीसगढ़ शासन व्दारा तैयार किये जावेंगे ।

2. कोयला, हीरा एवं लौह अयस्क की रायल्टी दरों के पुनरीक्षण हेतु भारत शासन के समक्ष यथासमय अनुरोध किया जाता रहेगा ।

3. खनिज व्यापार में बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा । खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन एवं खनिज राजस्व की हानि को रोकने हेतु केन्द्रीय शासन की अनुशंसाओं के अनुरूप कठोर कदम उठाये जावेंगे ।

4. सामान्यतया राज्य में खनिज का परिवहन खनिज अयस्क के रुप में होता है । प्रयास किया जावेगा कि इस पर मूल्य संबंधित लाभ प्राप्त हो सके । राज्य मे खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के इच्छुक उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

5. खनिज नीति 1995 तथा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के अनुसार गौण खनिजों को पट्टे पर देने एवं खनिज राजस्व वसूली का दायित्व पंचायतों को दिया गया था । यह नीति गौण खनिजों के राजस्व में वृद्धि करने मे सफल सिद्ध नहीं हुई । अतः, यह अधिकार पुनः जिला कलेक्टर को दिया गया है । यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य में भी अपनाई जावेगी तथा गौण खनिजों के पट्टे जिला कलेक्टर द्वारा नीलामी द्वारा प्रदान किये जावेंगे तथा इनसे प्राप्त राजस्व पंचायतों के विकास हेतु सुरक्षित रखा जावेगा ।

6. खनिजों का खनन/उत्खनन स्वीकृत माइनिंग प्लान के अनुसार हो इसे सुनिश्चित किया जावेगा । इसका नियंत्रण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर बनाई गई समिति द्वारा किया जावेगा ।

7. खनि पट्टों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के समय उत्पादकता मानदंड निर्धारित कर दिये जावेंगे ।

8. अकार्यशील खदानों की पहचान कर उन्हें कियाशीाल बनाया जावेगा ।

9. अनुज्ञप्ति हेतु लघुतम क्षेत्रफल की समीक्षा की जावेगी तथा आवश्यकतानुरुप क्षेत्रफल का पुनर्निधारण किया जावेगा ।

10. ''वन भूमि'' तथा ''राजस्व भूमि'' के तर्ज पर ''खनिज भूमि'' की पहचान खनिज धारित क्षेत्रो मे करने का प्रयास किया जावेगा ।

11. वन क्षेत्रों में स्थित खनिजों के खनन हेतु ''समूहखनन पद्धति'' को प्रोत्साहित किया जावेगा तथा ऐसे क्षेत्रों में ''खनिज उद्यानों'' का विकास किया जावेगा ।

12. खनिज संरक्षण, सुवैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित खनन, खान सुरक्षा तथा पर्यावरण अवधारणाओं का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे ।

<u>खनि रियायत (अनुज्ञप्ति) स्वीकृति एवं नवीनीकरण</u>

<u>खनिज उपलब्धता का प्रतिवेदन</u> :–

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की एक प्रति भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जावेगी ताकि आवेदित क्षेत्र में गौण खनिज की उपलब्धता बाबत जांच की जा सके । यदि कोई गौण खनिज उस क्षेत्र में मिलता है तो उक्त क्षेत्र को अलग करने बाबत विचार किया जा सकेगा ।

2. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त करते समय ही उक्त आवेदन पत्र में व्याप्त कमियों/त्रुटियों बाबत जानकारी प्रदान कर दी जावेगी ।

खनि अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :–

सामान्यतया खनि अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण तभी किया जा सकेगा जब :–

1. अनुज्ञप्ति क्षेत्र वन भूमि में स्थित न हो ।
2. अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई बकाया नहीं निकलता हो ।
3. अनुज्ञप्ति क्षेत्र में खनन कार्य कुशलतापूर्वक किया गया हो ।

संविदा पत्रा एवं अनुज्ञाप्ति पत्रा का पंजीयन

(अ) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ तथा अनुज्ञप्ति मसौदा के कियान्वयन के पूर्व अन्य शासकीय विभागों व्दारा जारी ''कुछ न बकाया प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(ब) ''कुछ न बकाया प्रमाण पत्र'' प्रदाय तिथि से छः माह की अवधि के लिए ही वैध माना जावेगा ।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1956 में प्रस्तावित संशोधन

1. चूनापत्थर को मुख्य एवं गौण खनिज दोनों रूपों में वर्गीकृत किया गया है । अतः, इस पर विशेष ध्यान रखा जावेगा कि गौण खनिज के रूप में केवल निम्न श्रेणी चूनापत्थर का ही उपयोग किया जावे ।
2. पटियादार चूनापत्थर का वर्गीकरण केवल फर्शीपत्थर के रूप में किया जावेगा ।
3. म.प्र. गौण खनिज नियमावली 1956 के नियम 3 (एक) एवं (दो) में कुम्हारों को परम्परागत रूप से ईट, घड़ा एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु दी गई छूट का पुनरीक्षण किया जावेगा क्योंकि राजधानी परियोजना के अन्तर्गत ईटों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी । इस नियम के अन्तर्गत पट्टाधारी 10 लाख ईटों की छूट का अनाधिकृत लाभ ले सकता है । किन्तु व्यवसायिक ईट उत्पादक हेतु इस नियम के अन्तर्गत छूट प्रदान नहीं की गई है ।
4. अनुज्ञप्तिधारी व्दारा देय खनिज राजस्व का स्व–आकलन छत्तीसगढ़ शासन व्दारा प्रवर्तित फार्मूले के अनुसार करने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है । इसकी सतत् निगरानी एवं समीक्षा करने का भी प्रावधान किया जावेगा ।
5. खनन के फलस्वरूप उत्पन्न खदान व्यर्थ का संग्रहण अनिवार्य रूप से खनि अधिकारी व्दारा चिन्हित स्थल पर किये जाने हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हैं ।
6. किसी भी खदान के लघुतम उत्पादन का आकलन कर तदानुसार खनिज रायल्टी जमा कराई जावेगी ।
7. चिमनी ईट भटठे के स्थान एवं इसके लिए स्वीकृत अनुज्ञाप्ति क्षेत्र के आधार पर एक निश्चित रायल्टी निर्धारित की जावेगी ।
8. बंधुआ एवं बाल मजदूरों को कार्य हेतु नियोजित करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शास्ति आरोपित की जावेगी ।
9. महिला उद्यमियों को खनि/ उत्खनि पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया जावेगा ।
10. उत्खनिपट्टा के हस्तांतरण पर हस्तांतरण शुल्क देय होगा ।
11. ऐसे शासकीय / अर्धशासकीय संस्थानों के लिए जो ठेकेदारों से गौण खनिज की आपूर्ति प्राप्त करते है, यह अनिवार्य होगा कि आपूर्ति ठेकेदार को राशि का भुगतान करने के पूर्व उससे ''खनिज राजस्व अदा कर दिया गया है'' बाबत् प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंवे ।
12. अवैध खनिज परिवहन को तत्परतापूर्वक रोकने हेतु महत्वपूर्ण मार्गो में जांच चौकियॉ तथा नाके स्थापित किये जाने का प्रावधान किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ शासन की ग्रेनाइट नीति

1. ग्रेनाइट निर्यात की असीम संभावनाओं ने भारत शासन को सन् 1995 में ग्रेनाइट विकास की अवधारणा के निर्माण हेतु प्रेरित किया । एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात् समिति व्दारा ''ग्रेनाइट संरक्षण तथा विकास नियम 1999'' का प्रकाशन किया गया । छत्तीसगढ़ शासन व्दारा केन्द्र शासन प्रवर्तित इस नियम को लागू किया जाना प्रस्तावित है :–
   – ग्रेनाइट हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान की जावेगी ।
   – दीर्घकालीन अनुज्ञप्ति 30 वर्ष्‍ों के लिए स्वीकृत की जावेगी जिसका नवीनीकरण इतनी ही
   & अवधि के लिये किया जाना निश्चित रहेगा ।
   & अनुज्ञप्ति स्वीकृत हेतु पूर्वानुसार माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
2. ''खानों के वैज्ञानिक विकास'' की अवधारणा का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
3. वन क्षेत्रों में समूह खनन को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे आकार की समीपस्थ ग्रेनाइट अनुज्ञप्तियों को सम्मिलित किया जायेगा ।
4. अकार्यशील ग्रेनाइट खनन अनुज्ञप्तियों की पहचान कर उन्हें क्रियाशील किया जायेगा ताकि अनुज्ञप्तियॉ व्यर्थ न पड़ी रहें ।
5. अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों का त्वरित (3 माह के अन्दर) निराकरण किया जायेगा ।
6. प्रदेश में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्योगपत्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
7. यह सुनिश्चित् किया जायेगा कि लंबी अवधि के खनन अनुज्ञप्ति धारियों से कच्चे माल की निरन्तर आपूर्ति हेतु समुचित कदम उठाये जायें ।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शिक्षित बेरोजगार, महिला तथा इनकी सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
9. जिस ग्राम में ग्रेनाइट खनिज हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत है उस ग्राम के निवासियों हेतु रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा ।
10. आकलनकर्ता व्दारा खनि राजस्व के स्व आकलन की प्रथा प्रस्तावित की जायेगी ।
11. ग्रेनाइट खनन से उत्पन्न निरूपयोगी टुकड़ों को अलग से एकत्रित किया जायेगा तथा इस पर सामान्य इमारती पत्थर की दर से राजस्व वसूल किया जायेगा ।
12. बंद खदानों का समुचित उपयोग मत्स्यपालन, पर्यटन के विकास, भूमिगत जल के पुनर्भरण हेतु रिचोर्ज टेंक आदि के रूप में विकासित कर किया जायेगा ।
13. छत्तीसगढ़ राज्य खनिज नियम के साथ बनाये जाने वाले संयुक्त उपक्रमों को प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में ग्रेनाइट खानों के विकास हेतु प्राथमिकता दी जायेगी । ऐसी खदानों में अधुनातन खनि उपकरण लगाये जावेंगे तथा इन्हें एक प्रादर्शखान का रूप दिया जावेगा जिससे अन्य प्रेरणा ले सकेंगे ।

खनिज एवं पर्यावरण

समुचित औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास हेतु खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिये एक विवेक सम्मत अवधारणा का विकास किया जाना आवश्यक है । सामान्यतः खनन

को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य के रुप में देखा जाता है । खनिज विकास तथा पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जावेगें :–

(अ) पर्यावरण के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना ।

(ब) स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन हेतु पट्‌टेधारियों को प्रोत्साहित करना ।

(स) खनन खंडो में क्षतिपूर्ति परक वृक्षारोपण हेतु खनन पश्चात बिगड़ी हुई भूमि में वृक्षारोपण हेतु पट्‌टेधारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

(द) खनिपट्‌टा इकरारनामे में वृक्षारोपण, खदान से निकाले अनुपयोगी पदार्थों को विशेष स्थान पर एकत्रित किया जाना, भविष्य में उपयोग हेतु उपरी मिट्‌टी का समुचित एकत्रीकरण आदि हेतु प्रावधान सम्मिलित किये जायेगें । बंद हो चुकी अथवा मृत खदानों का उपयोग अन्य उपयोगी कार्यों जैसे भूमिगत जल के पुनर्भरण हेतु, मत्स्य पालन हेतु तालाब के रुप मे अथवा पारिस्थितिकी संतुलन के दृष्टिकोण से भूमि के उपयोग आदि में किया जाएगा । खनन कार्य आवश्यक रुप से स्वीकृत खनन–योजना के अनुरुप किया जायेगा । पट्‌टा नवीनीकरण के समय भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा ।

(इ) खनन के फलस्वरुप उत्पादित अनुपयोगी पदार्थों का उपयोग इस पर देय राजस्व का भुगतान कर किया जा सकेगा ।

(फ) सामाजिक कार्यों जैसे लोगों को खनिज संबंधी कार्यों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने हेतु स्वास्थ्य सुविधायें, बच्चों के लिये पाठ शालायें, खनिज उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु आवश्यक तकनीकी शालायें इत्यादि के लिये राशि चिन्हित की जावेगी ।

(ब) स्वदेशी जन विकास परियोजना (प्दकपहमदवने च्मवचसम क्मअमसवचउमदज च्तवरमबज. प्च्क्च्) हेतु कदम उठाये जावेंगे ।

निर्यात संवर्धन

लौह अयस्क, हीरा तथा अन्य मूल्यवान / अर्धमूल्यवान रत्न तथा बाक्साइट एवं ग्रेनाइट के निर्यात की असीम संभावनाऍं है । लौह अयस्क का तो आज भी निर्यात हो रहा है । इनकी गुणवत्ता में सुधार कर विदेशी बाजार में स्वीकार्य मापदंड अपनाने की आवश्यकता है । इस हेतु राज्य शासन निम्नलिखित कदम प्रस्तावित करता है :–

(अ) हमारे खनिज संसाधनों को धीरे धीरे ''संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तित वर्गीकरण ढांचा (यू.एन.फ्रेम वर्क क्लासिफिकेशन सिस्टम)'' के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है जिससे हमारे खनिज संसाधनो का वास्तविक मूल्य देशी तथा विदेशी निवेशकों के समक्ष सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके ।

(ब) प्रदेश मे उपलब्ध खनिज संसाधनों को मेलों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से जनता के बीच प्रचारित प्रसारित किया जावेगा ।

(स) इस हेतु राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया जायेगा ।

(द) प्रदेश में निर्यातोन्मुखी इकाईयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को खनिपट्‌टा देने में प्राथमिकता दी जायेगी ।

(इ) गुणवत्ता के मापदंडो को जारी रखने हेतु उपयुक्त परिष्करण अध्ययन शाला, अयस्क श्रृगांर प्रयोगशाला तथा रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित किये जावेगें ।

(फ) भारत शासन के सहयोग से प्रदेश में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया जावेगा ।

खनिज आधारित उद्योगों का विकास

प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जाएंगें :–

1. प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों हेतु भौमिकी अन्वेषण कार्य संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित करने हेतु प्रावधान किये जावेंगे ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध खनिज भंडारों से संबंधित जानकारी तथा आकड़े उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में एक कार्य दल का गठन किया जावेगा ।
3. प्रदेश में खनिज आधरित उद्योग स्थापित करने में वास्तविक रुचि रखने वाले उद्योगपतियों को खनि पट्टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जाएगी ।
4. उद्यमियों को प्रदेश की उद्योग नीति के तहत दिये जाने वाले प्रोत्साहन खनिज उद्योग हेतु भी उपलब्ध रहेगें ।

<u>खनिज विकास में अवरोधक</u>

1. ''वन संरक्षण अधिनियम 1980'' तथा इसके तहत किये गये कठोर प्रावधानों के कारण नये खनि रियायत स्वीकृत करने तथा पूर्व में स्वीकृत खनि रियायत / अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसके निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में वन सचिव या उनके प्रतिनिधि, वन संरक्षक तथा भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के प्रमुख की एक उच्च स्तरीय समिति गठिन की जावेगी ।
2. ऐसे क्षेत्रों में जो राजस्व मानचित्र में वनभूमि के रुप मे अंकित नहीं हैं या वन विभाग को स्थानांतरित राजस्व भूमि की श्रेणी में अथवा 'सी' एवं 'डी' श्रेणी भूमि में है, खनिपट्टा/अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकरण करने में अनावश्यक विलंब से बचने हेतु पट्टेदार को इस संबंध में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा । खनिज संसाधन विभाग ऐसे क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी वन विभाग को अग्रेषित करेगा । यदि वन विभाग को कोई आपत्ति होगी तो वह 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा । यदि वन विभाग से उल्लेखित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो खनिज संसाधन विभाग अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा । प्रत्येक आवेदक खनि पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ राजस्व मानचित्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा जिसमें आवेदित क्षेत्र उपरोक्त वर्णित किसी भूमि के अंतर्गत नहीं आता है विषयक विवरण हो ।

<u>खनिज निगम का गठन</u>

छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधन एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकते है । प्रदेश के पास खनिज संसाधनों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है । इसलिये आने वाले दिनों में खनिज उद्योग एक प्रभावशाली कारक होगा । अतः, छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि इस प्राकृतिक संपदा की वास्तविक संरक्षक है, प्रदेश के लाभ में से उचित अंश दिलाने हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम का गठन प्रस्तावित है । यह प्रदेश की प्रमुख खनिज विपणन संस्था होगी जो अकेले अथवा संयुक्त रूप से प्रदेश में संपूर्ण खनिज विपणन का कार्य करेगी । यह एक स्वशासी संस्था होगी जिसमें शासन का अधिक हिस्सा होगा ।

राज्य खनिज निगम के निर्माण के मूल उद्देश्यः—

& राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व में वृद्धि करना ।

& खनिजों की आधारभूत जानकारी का संकलन एवं प्रसार करना ।

& खनिज उद्योगों के लिए समुचित कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

& नई खनिज परियोजनाओं के विकास के लिए अध्ययन एवं शोध कार्यों के अवसर उपलब्ध कराना ।

नीति क्रियान्वयन समिति का गठन

(अ) अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर गठित एक त्वरित कार्यवाही समिति (थ्ेंज ज्तंबा ब्वउउपजजमम) खदानों के पट्टे स्वीकृत करने के रास्ते में आने वाले समस्त अवरोधों की पहचान करेगी तथा इनके निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित कर कार्यवाही की सतत निगरानी करेगी । समिति की प्रत्येक दो माह में एक बार बैठक आयोजित की जावेगी तथा प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी ।

(ब) संचालनालय स्तर पर गठित कार्य दल में संचालनालय के अधिकारी सम्मिलित होगें । कार्यदल की प्रत्येक माह में एक बार बैठक होगी तथा खनिज अन्वेषण कार्य, रासायनिक विश्लेषण, अवैध खनन तथा अवैध परिवहन को रोकने तथा राजस्व निर्धारण करने बाबत कार्य योजना तैयार करेगें ।

1. कार्य दल द्वारा उद्योगपतियों को प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के विषय में आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्रदान किया जावेगा ।
2. प्रदेश के हितों की रक्षा तथा खनिज राजस्व में समुचित वृद्धि हेतु समिति राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, बाल्को, एस.ई.सी.एल., छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम इत्यादि के द्वारा खनिजों के उपयोग के तौर तरीकों की समीक्षा करेगी ।
3. कार्यशील खदानों के राजस्व निर्धारण एवं श्रेणी निर्धारण तथा अकार्यशील/मृत खदानों की वर्तमान स्थिति के निर्धारण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ तकनीकी अमले द्वारा, जिसमें भौमिकी विद्, रसायनज्ञ, सांख्यिकी विद्, सर्वेयर तथा खनि अमला सम्मिलित होगा, किया जायेगा ।
4. खनिज प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में संचालनालय स्तर पर उड़न दस्ता का गठन किया जायेगा जो कि स्वामित्व निर्धारण, खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन की रोकथाम एवं खनिज राजस्व के अपव्यय की रोकथाम करेगा ।